07/11/25 पत्रावली पेश हुई। वकील वादीगण उप.। बहस सुनी गई। वादीगण का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर निर्णय व निर्णयानुसार पृथक से टंकित करवाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(बीनू देवल)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

न्यायालय सहायक कलक्टर एंव उपखण्ड अधिकारी चित्तौडगढ

पीठासीन अधिकारी : **बीनू देवल** (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या : 251 / 2023 (2023 / 785)

अनवान

1. उदयराम पिता मोहनलाल जाट नि.घटियावली तह.व जिला चित्तौडगढ
2. सुशीला पुत्री मोहनलाल जाट नि.घटियावली तह.व जिला चित्तौडगढ
3. सुमित्रा पुत्री मोहनलाल जाट नि.घटियावली तह.व जिला चित्तौडगढ

—वादीगण

बनाम

1. मोहनलाल पिता नंदा जाट नि.घटियावली तह.व जिला चित्तौडगढ
2. गीता पत्नी मोहनलाल जाट नि.घटियावली तह.व जिला चित्तौडगढ
3. कांता बाई पुत्री पृथ्वीराज जाट नि.सुखवाडा हाल घटियावली तह.व जिला चित्तौडगढ
4. अणछी बाई पत्नी भूरा जाट नि.घटियावली तह.व जिला चित्तौडगढ
5. कंचन बाई पुत्री सीताराम जाट नि.घटियावली तह.व जिला चित्तौडगढ
6. गट्टू बाई पुत्री भूरा जाट नि.घटियावली तह.व जिला चित्तौडगढ
7. गैरू पिता नाना जाट नि.घटियावली तह.व जिला चित्तौडगढ
8. देवीलाल पिता किशनलाल जाट नि.घटियावली तह.व जिला चित्तौडगढ
9. नारायणलाल पिता सीताराम जाट नि.घटियावली तह.व जिला चित्तौडगढ
10. पृथ्वीराज पिता सीताराम जाट नि.घटियावली तह.व जिला चित्तौडगढ
11. पप्पू बाई पुत्री सोला जाट नि.घटियावली तह.व जिला चित्तौडगढ
12. पप्पूलाल पिता सोहनलाल जाट नि.घटियावली तह.व जिला चित्तौडगढ
13. पारस बाई पुत्री सोला जाट नि.घटियावली तह.व जिला चित्तौडगढ
14. भोपराज पिता किशनलाल जाट नि.घटियावली तह.व जिला चित्तौडगढ
15. मांगी बाई पुत्री सीताराम जाट नि.घटियावली तह.व जिला चित्तौडगढ
16. मोहनी बाई पुत्री सोला जाट नि.घटियावली तह.व जिला चित्तौडगढ
17. रतनलाल पिता नंदा जाट नि.घटियावली तह.व जिला चित्तौडगढ
18. रतनलाल पिता भूरा जाट नि.घटियावली तह.व जिला चित्तौडगढ
19. रतनलाल पुत्र शांति बाई जाट नि.घटियावली तह.व जिला चित्तौडगढ
20. रमेश पिता भूरा जाट नि.घटियावली तह.व जिला चित्तौडगढ

(बीनू देवल)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
चित्तौड़गढ़ (उप.)

21.लाली बाई पुत्री भूरा जाट नि.घटियावली तह.व जिला चित्तौडगढ
22.शंभूलाल पुत्र शांति बाई जाट नि.घटियावली तह.व जिला चित्तौडगढ
23.संतोष पिता किशनलाल जाट नि.घटियावली तह.व जिला चित्तौडगढ
24.सीता बाई पुत्री भूरा जाट नि.घटियावली तह.व जिला चित्तौडगढ
25.हगामी बाई पुत्री सीताराम जाट नि.घटियावली तह.व जिला चित्तौडगढ
26.भगवतीलाल पिता सोला जाट नि.घटियावली तह.व जिला चित्तौडगढ
27.माधु पिता नाना जाट नि.घटियावली तह.व जिला चित्तौडगढ
28.श्री सरकार जरिये भूमिधारी जी तहसीलदार चित्तौडगढ

—प्रतिवादीगण

कार्यवाही : 88—188 आर.टी.ए.
उपस्थिति : श्री राकेश पुरी गोस्वामी अधिवक्ता वादीगण

दिनांक 01/12/25

निर्णय

संक्षिप्त विवरण प्रकरण इस प्रकार है कि वादीगण ने विरूद्ध प्रतिवादीगण वाद पत्र अर्न्तगत धारा 88—188 आर.टी.ए. इस आशय का प्रस्तुत किया कि वादीगण एंव प्रतिवादी संख्या 01 व 02 का पारिवारिक सजरा वाद पत्र मे वर्णितानुसार प्रतिवादीगण के संयुक्त खातेदारी एंव कब्जे काश्त की ग्राम उदपुरा पटवार हल्का घटियावली तहसील चित्तौडगढ के खाता संख्या 32 मे वर्णित आराजीयात 108, 110, 111, 112, 130, 131, 132, 150, 152, 153, 73, 74, 81, 82, 83, 84, 89, 90, 91, 92, 94, 95, 97, 98 कुल किता 24 कुल रकबा 7.85 हे. स्थित है। उपरोक्त वादग्रस्त आराजीयात मूल पुरूष नंदा जी की अपने भाईयों के साथ संयुक्त खातेदारी मे दर्ज चली आ रही है। नंदा जी की मृत्यु होने पर उनका विरासतीय नामान्तकरण जरिये नामान्तकरण संख्या 47 दिनांक 02.12.1995 से भंवरलाल, मोहनलाल, रतनलाल, शांतिबाई, नानीबाई के नाम खोला गया । नानी बाई की मृत्यु हो चुकी है एंव भंवरलाल व शांति बाई ने अपना हिस्सा जरिये हक त्याग विलेख रतनलाल को हक त्याग कर दिया है। वादीगण प्रतिवादी संख्या 01 मोहनलाल पिता नंदा जी के पुत्र, पुत्रिया है। वादग्रस्त आराजीयात वादीगण के पडदादा के समय से चली आ रही है एंव पैतृक पुश्तैनी जायदाद है। उपरोक्त आराजीयात मे प्रतिवादी संख्या 01 का 1/10 हिस्सा निहित रहा है। जबकि आराजीयात पैतृक पुश्तैनी होने से वादीगण प्रत्येक का 1/40 एंव प्रतिवादी संख्या

(बीनू देवल)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी

का 1/40 हिस्सा निहित होता है एंव उसी अनुसार मौके पर काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है। वादीगण के पिता ने पैतृक पुश्तैनी आराजीयात में से अपना 3/40 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 03 कांता बाई पुत्री पृथ्वीराज जाट को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 02.11.2011 से विक्रय कर दिया एंव जरिये नामान्तकरण संख्या 213 दिनांक 20.12.2011 से राजस्व रेकार्ड मे नाम भी दर्ज हो गया है। प्रतिवादी संख्या 01 का वादग्रस्त आराजीयात में 1/10 वां हिस्सा निहित है परन्तु प्रतिवादी संख्या 01 ने 3/40 हिस्सा विक्रय कर दिया है, उपरोक्त विक्रय पत्र वादीगणों के हितो के मुकाबले शून्य व अप्रभावी है। वादग्रस्त आराजीयात पैतृक पुश्तैनी होने से वादीगण का संयुक्त रूप से 3/40 एंव प्रतिवादी संख्या 01 व 03 का संयुक्त रूप से 1/10 हिस्सा निहित है। वादीगण को अपनी पैतृक पुश्तैनी आराजीयात से मेहरूम करने के लिए प्रतिवादी संख्या 01 ने एक नुमाईशी विक्रय पत्र के आधार पर आराजीयात विक्रय की गई इस कारण वादीगण का 3/40 हिस्से की खातेदारी घोषणा कराये जाने हेतू वाद पत्र पेश किया है। दिनांक 01.10.2023 को वादीगण को प्रतिवादीगण द्वारा कब्जे से बेदखल करने का असफल प्रयास करने से वाद कारण पैदा होकर हर रोज जारी है। अन्त मे वादीगण का वाद पत्र स्वीकार फरमाया जाकर वाद वर्णित आराजीयात मे वादीगण का सयुंक्त रूप से 3/40 वा हिस्सा एंव प्रतिवादी संख्या 01 से 03 का 1/10 हिस्सा खातेदारी मे घोषणा करने एंव विरूद्ध प्रतिवादी संख्या 01 व 03 स्थाई निषेधाज्ञा इस आशय की डिक्री पारित किए जाने का निवेदन किया कि प्रतिवादीगण वादीगण के घोषित हक हिस्से मे किसी प्रकार की दखलअन्दाजी न तो स्वंय करे और न ही अन्य से करावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिए नोटिस मय वाद पत्र की प्रति तलब किया गया। दिनांक 07.08.2025 को प्रतिवादीगण बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने से प्रतिवादीगण के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही के आदेश दिए गए है। वाद पत्र का खण्डन प्रस्तुत नही करने से वाद बिन्दू कायम नही किए गए। वादीगण ने वाद पत्र की ताईद मे बयान शपथ पत्र pw1 सुशीला , pw2 रतन , pw3 कैलाश का प्रस्तुत कर बयान लेखबद्ध करवाए गए व दस्तावेजी साक्ष्य के रूप मे प्रदर्श–1 नकल जमाबन्दी मौजा उदपुरा खाता संख्या 33 , प्रदर्श–2 नकल नामान्तरकरण संख्या 47 , प्रदर्श–3 नामान्तरकरण संख्या 213

न्यायालय सहायक कलेक्टर, चित्तौड़गढ़ जिला चित्तौड़गढ़

(बीनू देवल)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

र्शित करवाए। अधिवक्ता वादीगण ने लिखित बहस प्रस्तुत की जो सलंग्न पत्रावली होकर रेकार्ड पर है। पत्रावली नियत दिनांक को बहस हेतू न्यायालय के समक्ष पेश हुई । अधिवक्ता वादीगण ने मौखिक बहस मे वाद पत्र एंव लिखित बहस मे वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए वाद ग्रस्त आराजीयात मे वादीगण का सयुक्त रूप से 3/40 हक हिस्से की घोषणा एंव घोषित हक हिस्से मे प्रतिवादीगण किसी प्रकार की दखलन्दाजी न करे इस आशय की डिक्री पारित किए जाने का निवेदन किया ।

हमने पत्रावली का अवलोकन व अध्ययन कर अधिवक्ता वादीगण की मौखिक एंव लिखित बहस पर चिन्तन व मनन किया। वादीगण ने वाद ग्रस्त आराजीयात पैतृक व पुश्तैनी होना बताया है जिसकी पुष्टि मे वादीगण ने प्रदर्श–2 नकल नामान्तरकरण संख्या 47 प्रस्तुत कर वादग्रस्त आराजीयात मूल पुरूष नंदा के नाम दर्ज रेकार्ड होकर विरासतीय नामान्तरकरण से मोहनलाल व अन्य वारिसो के नाम वादग्रस्त आराजीयात दर्ज रेकार्ड होना पाया गया है जिससे यह तथ्य तो स्पष्ट है कि वादग्रस्त आराजीयात प्रतिवादी संख्या 01 मोहनलाल की स्वअर्जित नही होकर पैतृक है एंव प्रतिवादी संख्या 01 मोहनलाल को विरासत से प्राप्त हुई है। प्रदर्श–3 नकल नामान्तरकरण संख्या 213 के अवलोकन से विदित हुआ है कि मोहनलाल ने वादग्रस्त आराजीयात मे निहित 1/10 हक हिस्से मे से 3/40 हक हिस्सा कांता बाई पुत्री पृथ्वीराज जाट को जरिए विक्रय पत्र से विक्रय कर उक्त विक्रय पत्र अनुसार नामान्तरकरण खोला होने की पुष्टि होती है जिससे यह बात तो स्पष्ट रूप से न्यायालय के समक्ष उभर कर आई है कि मोहनलाल जो कि वादीगण के पिता है जिन्होने पैतृक पुश्तैनी आराजीयत मे वादीगण के हितो को ध्यान मे नही रखते हुए वादग्रस्त आराजीयात मे निहित हिस्से 1/10 मे से 3/40 हक हिस्से को जरिए विक्रय पत्र से विक्रय कर दिया है जिसका उन्हे कोई अधिकार नही था। चूंकि वादग्रस्त भूमि पैतृक व पुश्तैनी होने से वादीगण का हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के अनुसार वादग्रस्त भूमि मे पैदाईशी हक हिस्सा निहित है। वादीगण के हक व अधिकारो के मुकाबले प्रतिवादी संख्या 01 मोहनलाल द्वारा प्रतिवादी संख्या 03 कांता के पक्ष मे निष्पादित किया गया विक्रय पत्र वादीगण के निहित हक हिस्से तक प्रभावहीन व शून्य है। उपरोक्त विवेचना

न्यायालय सहायक कलेक्टर, चि... जिला चित्तौड़गढ़

(बीनू देवल)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

आधार पर वादीगण का वाद पत्र प्रमाणित पाया जाने से स्वीकार योग्य पाया जाता है।

अत : वादीगण का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम उदपुरा पटवार हल्का उदपुरा के खाता संख्या 33 मे वर्णित आराजीयात 108, 110, 111, 112, 130, 131, 132, 150, 152, 153, 73, 74, 81, 82, 83, 84, 89, 90, 91, 92, 94, 95, 97, 98 कुल किता 24 कुल रकबा 7.85 हे. मे वर्णित खातेदार मोहन लाल पिता नन्दा जाट का 1/40 (सम्पूर्ण हिस्सा) एंव कान्ता बाई पुत्री पृथ्वीराज जाट का 3/40 मे से 2/40 हक हिस्सा विलोपित किया जाकर वादीगण (उदयराम, सुशीला, सुमित्रा) को संयुक्त रूप से 3/40 हक हिस्से का खातेदार घोषित किया जाता है। उपर्युक्त घोषित खातेदार का नाम व हक हिस्सा राजस्व अभिलेख मे अन्य खातेदारान के साथ सहखातेदार के रूप मे दर्ज रेकार्ड रखा जावे। प्रतिवादी संख्या 01 व 03 को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वादीगण के घोषित हक हिस्से मे किसी प्रकार की दखलअन्दाजी न तो स्वंय करे और न ही अन्य से करावे। उपरोक्तानुसार राजस्व अभिलेख मे अमलदरामद किया जावे। डिक्री मुर्तिब हो।

निर्णय टंकित करवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(भीमू देवल)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)